# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928


संख्या 91 – विनियम एवं काविनी / पाकालि /2017–68–विनियम/2015 दिनांक 03 जुलाई, 2017

विषय :– टेक्नीशियन (ग्रेड–2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया में संशोधन।

## कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिऐशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनॉक 19.06.2017 को सम्पन्न 129वीं बैठक में मद संख्या–129(42) पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में, तकनीशियन (ग्रेड–2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में संशोधन हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 72–विनियम एवं काविनी / पाकालि / 2015–68विनियम / 2015 दिनांक 08.10.2015 द्वारा सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

**1. शैक्षिक अर्हता**

| वर्तमान अर्हता (स्तम्भ–अ) | संशोधित अर्हता स्तम्भ–अ के स्थान पर (स्तम्भ–ब) |
|---|---|
| (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक तथा इलेक्ट्रीशियन/ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल (कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण) ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र। | (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में बिना ग्रेस मार्क के उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र (SCVT/NCVT) का होना आवश्यक :–<br>(i) इलेक्ट्रीशियन<br>(ii) इलेक्ट्रिकल<br>(iii) इलेक्ट्रिकल *(कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण)*<br>(iv) वायरमैन के साथ इलेक्ट्रीशियन का ब्रिजकोर्स |
| (2) –विलुप्त– | (2) –विलुप्त– |

**2. लिखित परीक्षा**

| वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था (स्तम्भ–अ) | प्रस्तावित व्यवस्था स्तम्भ–अ के स्थान पर (स्तम्भ–ब) |
|---|---|
| **लिखित परीक्षा** – तकनीशियन (ग्रेड–2) के रिक्त पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न–पत्र दो भागों का होगा। | **लिखित परीक्षा**– तकनीशियन (ग्रेड–2) के रिक्त पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न–पत्र दो भागों का होगा। |

**प्रथम भाग :**

(1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ¼ अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

**द्वितीय भाग :**

(1) विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु द्वितीय भाग की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नवत होगा :–
   (i) सामान्य हिन्दी
   (ii) सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान
   (ii) तकनीकी विषयक ज्ञान

(2) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ¼ अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न–पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

**प्रथम भाग :**

(1) इस भाग में NIELIT के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा, अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएंगे अर्थात् ¼ अंक की कटौती की जाएगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम–से–कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे।

**द्वितीय भाग :**

इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएंगे अर्थात् ¼ अंक की कटौती की जाएगी।

| पाठ्यक्रम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| (1) सामान्य अध्ययन व तार्किक ज्ञान | 20 | 20 |
| (2) सामान्य हिन्दी *(हाई स्कूल सामान्य स्तर)* | 15 | 15 |
| (3) सामान्य अंग्रेजी *(हाई स्कूल सामान्य स्तर)* | 15 | 15 |
| (4) तकनीकी विषयक ज्ञान | 150 | 150 |
| **कुल अंक** | | 200 |

**नोट :–** चयन हेतु इस द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम $33^{1}/_{3}\%$ अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी, जो 67 से कम अंक प्राप्त करेंगे, वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

**विशेष :**

1. उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अन्तिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की

| | |
|---|---|
| | जाएगी।<br>2. उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।<br>3. परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका इस विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा। |

3.

| वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था (स्तम्भ–अ) | प्रस्तावित व्यवस्था स्तम्भ–अ के स्थान पर (स्तम्भ–ब) |
|---|---|
| उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली–1995 (अद्यतन संशोधित) एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 72–विनियम/काविनी–29/पाकालि/2015–68–विनियम/15 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 में यथा वर्णित शैक्षिक अर्हता के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे। | उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली–1995 (अद्यतन संशोधित) एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 38–विनियम/काविनी–29/पाकालि/2015–68 विनियम/15, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 में यथा वर्णित शैक्षिक अर्हता एवं लिखित परीक्षा के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे। |

4.

| वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था (स्तम्भ–अ) | प्रस्तावित व्यवस्था स्तम्भ–अ के स्थान पर (स्तम्भ–ब) |
|---|---|
| आदेश सं0 72–विनियम/काविनी–29/पाकालि/2015–68 विनियम/15, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 में तकनीशियन ग्रेड–2 के पद से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया के प्राविधान एवं अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगे। | –यथावत– |

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से।**

संख्याः 91 –(1) विनियम/काविनी–29/पाकालि/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (सचि0प्रशा0) उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

03.07.17

(राजेश कुमार भटनागर)